

उत्तर प्रदेश सरकार
संस्थागत वित्त, कर एवं निबन्धन अनुभाग-2
संख्या:-क0नि0-2- 546 / ग्यारह-9(1)/08-उ0प्र0अधि0-5-2008-आदेश-(90)-2013
दिनांक: 29 अप्रैल, 2013

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश मूल्य सवर्धित कर अधिनियम, 2008 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 5, सन् 2008) की धारा 4 की उपधारा (4) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल उक्त अधिनियम की अनुसूची-दो में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अनुसूची-दो में, भाग-ग में, कम संख्या 234 की प्रविष्टि निकाल दी जायेगी।

आज्ञा से,

(बीरेश कुमार)
प्रमुख सचिव।